25.2.2026 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के वकील उपस्थित। शेष प्रतिवादी एकतरफा / जन्मपत्र अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई थी दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया जी कि वादी की खातेदारी कृषि ग्राम - उमरलाई जागीर की खसरा नम्बर 350/151 व 348/150 अवस्थित है जिसके वादी द्वारा अपने खेत की पत्थरगढी करवाकर चारो तरफ तारबंदी कर रखी है वादी के खेत के उत्तर दिशा में काश्त रास्ता चलता है प्रतिवादी का खसरा नम्बर 88 है इस प्रकार वादी व प्रतिवादी के मध्य काश्त मार्ग अवस्थित है प्रतिवादी द्वारा काश्त मार्ग पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है अब जोर जबरदस्ती वादी की खातेदारी कृषि में काश्त मार्ग निकालने पर उतारू है। जिसका प्रतिवादी हकदार नहीं है अत: में निवेदन किया कि वादी का वाद स्थायी अनुतोष डिक्री फरमाया जावे।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
इसके विपरीत, प्रतिवादी वकील ने दौराने बहस निवेदन किया था, कि वादी की ओर से मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया गया है। जिसमें सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि वादी व प्रतिवादी के खेत के मध्य कराना मार्ग चल रहा है। जिस पर प्रतिवादी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अतः वादी का वाद खारिज करवाया जावे। हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गंभीरता-पूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम उमरलाई जागीर की खेत खसरा नम्बर 348/150 व 350/151 व 88 खसरात के बीच कराना मार्ग अवस्थित है। कराना मार्ग सार्वजनिक होता है, जिस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। विपक्षी अपनी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 88 की हद के बाहर अतिचार नहीं कर सकता है। इस कारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को पाबंद किया जाना उचित समझती है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम उमरलाई जागीर की खसरा नम्बर 350/151 व 348/150 के पास अवस्थित कराना मार्ग ग्राम पर उभय-पक्ष किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। डिक्री-पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा